

15-9-21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयब्दा दिनांक 20-10-21
को पेश हो।

रीडर

20-10-21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयब्दा दिनांक 13-12-21
को पेश हो।

रीडर

9-11-21 पत्रावली मात्र प्रशासन गवा के संग अभिमान में आग
पत्र पर पेश हुई। निर्णय नहीं हो सका नाकदा दिनांक
11-1-2022 को पेश हो।

11-22 उभय पक्ष के अभिनापक उपण। वस्तु जवाब पेशीगर सखार
दिनांक 23-3-22 को पेश हो।

23-3-22 उभय पक्ष के अभि.उप.। वस्तु जवाब पेशीगर सखार
दिनांक 20-4-22 को पेश हो।

20-4-22 उभय पक्ष के अभि.उप.। वस्तु जवाब पेशीगर सखार
दिनांक 16-5-22 को पेश हो।

16-5-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयब्दा दिनांक 18-5-22
को पेश हो।

रीडर

18-5-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयब्दा दिनांक 6-7-22
को पेश हो।

रीडर

6-7-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयब्दा दिनांक 13-7-22
को पेश हो।

रीडर

रंजन एस खानवाले

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (-अलवर)

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

13-7-22 परावली पेश हुई। पी.ओ. साहब

अवकाश के लिए/पाहर पधारें हैं।

उभयपक्ष के अधि.उप. आयुक्त दिनांक 10-7-22

में पेश हो।

स
रीडर

20-7-22

उभय पक्ष के अधि.उप. वाले जवाब करीबत सरकार
दिनांक 19-10-22 को पेश हैं। स

काद में जारी लम्ब सिद्ध करे शक्य है प्रमाण नहीं है

स
19/10/22
N/A 12/10/22

19-10-22

उभय पक्ष के अधि.उप. जवाब सरकार प्राप्त हुआ था. मि. वं
वले काशमी तनकी दिनांक 9-11-22 को पेश हैं। स

9-11-22

उभय पक्ष के अधि.उप. नहीं। बार-बार अपील दिखाई गई।
वकील वकी। वकील से कोई उप नहीं। वकील प्रतिक्रिया उप
धरुं दावा वाली अदम हाजरी अदम परेवी में खारिज
किया जाता है परावली में सब सुमार होकर सलग
लेख भेज रहे। स